न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रकाश चन्द पवन
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
77/अपील/2014	12.11.2014	06.03.2017

1. चन्द्री पुत्री भेरया पत्नी भूरा जाति चमारनिवासी ग्राम थाना तहसील हिण्डोली कायम मुकाम
   (i) लायाराम आ0 भूरा उर्फ भंवर लाल जाति बैरवा निवासी गणेशपाल, कोटा।
   (ii) लाड़ बाई पुत्री भूरा (माता चन्द्री) पत्नी देवा जाति बैरवा निवासी हरणा तहसील हिण्डोली।
   (iii) कस्तूरी पुत्री भूरा (माता चन्द्री) पत्नी श्री किशन जाति बैरवा निवासी थावला।
   (iv) शान्ती बाई पुत्री भूरा (माता चन्द्री) पत्नी बरधा जाति बैरवा निवासी देवली।
   (v) कैलाश बाई पुत्री भूरा (माता चन्द्री) पत्नी कालू जाति बैरवा निवासी सथूर।
2. अमरी पुत्री भेरया पत्नी जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी थाना।

–अपीलांट

– बनाम –

1. औंकार आ0 भेरया जाति चमार (बैरवा) निवासी थाना तहसील हिण्डोली।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली।
3. ग्राम पंचायत थाना पंचायत समिति, हिण्डोली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत थाना।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम,
विरूद्व नामान्तकरण सं0 250 दिनांक 03.01.1983
ग्राम थाना तहसील हिण्डोली।

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से – श्री प्रेम शंकर गूजर, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से – एक तरफा कार्यवाही।

–: निर्णय :–

यह अपील ग्राम पंचायत थाना द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 250 दिनांक 03.01.1983 ग्राम थाना तहसील हिण्डोली से अप्रसन्न होकर

इस न्यायालय में अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम पेश की गयी है। अपीलाधीन नामान्तकरण औकार के फौत होने पर उसके वारिसान के नाम पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि कुल किता 14 रकबा 18 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम थाना तहसील हिण्डोली में स्थित में भेरया आ0 अमरा की 1/2 हिस्से की खातेदारी भूमि है। खातेदार भेरया की मृत्यु होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या–01 के पक्ष में तस्दीक किया गया है। जो वस्तु स्थिति एवं विद्वान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टसंख्या–01 का पिता भेरया आ0 अमरा अर्थात भेरया के दो पुत्रीया अपीलान्ट व एक पुत्र रेस्पोडेन्ट औंकार है, इस प्रकार अपीलान्ट भी भेरया की वारिसान है। अधीनस्थ न्यायालय ने वारिसान की कोई जॉच नहीं की गई है, न ही सजरा तैयार किया गया है, मात्र रेस्पोडेन्ट क्रम सं.–01 औंकार के नाम ही अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जो अवैध व निरस्तनीय है। अपीलाधीन नामान्तरकरण के कॉलम 16 में खातेदार औंकार फौत होना अंकित किया है जबकि औंकार फौत नहीं हुआ है बल्कि औंकार का पिता भेरया फौत हुआ है। कानूनन भेरया के सभी वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक होना चाहिये था जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट के नाम भी नामान्तरकरण तस्दीक फरमाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या–250 दिनांक 03.01.1983 ग्राम पंचायत द्वारा भेरया के फौत होने पर औंकार आ0 भेरया के नाम तस्दीक किया गया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण में अंकित भूमि कुल किता 14 रकबा 18 बीघा 01 बिस्वा में भेरया आ0 अमरा का 1/2 हिस्सा दर्ज है। अपीलाधीन नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 16 में पटवारी रिपोर्ट में खातेदार औंकार फौत होना व उसके वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोलना अंकित है जबकि औंकार जिन्दा है, मृत्यु भेरया की हुई है। भेरया के औंकार के अलावा दो पुत्रियां चन्द्री व अमरी भी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने भेरया की मृत्यु पर वारिसान की जॉच नहीं की गई है और औंकार के फौत होना बताकर औंकार आ0 भेरया के नाम ही नामान्तरकरण पारित कर दिया गया है जो न्यायसंगत एवं उचित नहीं है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 250 दिनांक

03.01.1983 ग्राम थाना तहसील हिण्डोली निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, हिण्डोली को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाताहै कि मृतक के वारिसान की समुचित जॉच कर साक्ष्य रेकार्ड पर लेते हुये नियमों में निहित प्रावधानुसार नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 06.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चंद पवन)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बून्दी (राज0)